तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
30/3/26	आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी / प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 30.05.2018 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में भोपालराम पारिवारिक हितार्थ रजिस्टर्ड करवाया है वादीया ने दानपत्र को अर्जीदावा की मद संख्या 5 में दानपत्र विधि विरूद्व तरीके से व फर्जी तरीके से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तहरीर करना बताया गया है तथा दानपत्र को शुन्य अधिनिर्णित करने की मांग की गई है जबकि दानपत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय में चैलेन्ज किया जा सकता है राजस्व न्यायालय दानपत्र को शुन्य / फर्जी घोषित नही कर सकता है वादीया को कोई अधिकार नही है कि वाद भूमि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात प्रथम श्रेणी के रूप में भोपालराम प्रतिवादी संख्या 5 को विरासतन में मिली थी इसलिये हिन्दु उतराधिकार सन 1956 की धारा 8 के प्रभाव में आने से भोपालसिह की प्रथम सम्पति मानी जावेगी जिसका दानपत्र करने का पूर्ण अधिकार है वादीया ने दानपत्र फर्जी होना अभिकथन किया गया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 144 के अनुसार फोजदारी की तरह सिविल न्यायालय में ही साबित हो सकता है वादीया का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज फरमाया जावे। वादी /अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया ने पैत्रिक भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है जिसका सबुत दावा में पेश है तथा दावा साक्ष्यवादी में चल रहा है इसलिये वाद साक्ष्य वादीया में अपने वाद को बखुबी साबित कर देगी तथा दोनो पक्षो के साक्ष्यो के आधार पर ही तनकीवार निर्णय किया जाना उचित है अप्रार्थीगण ने विधि विरूद्व तरिके से समस्त भूमि दानपत्र के आधार पर अपने नाम करवाई है जो प्रार्थीया के हितो के मुकाबले शुन्य है जिसकी घोषणा करवाने के लिये दावा पेश किया गया है जो इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीया ने हस्तगत वाद तेजाराम के फोत होने पर वादीया के पिता भोपालराम को विरासतन से प्राप्त हुई है जो कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हुई है तथा भोपालराम ने वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज करवा दी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम जिस दस्तावेजात के द्वारा भूमि दर्ज करवाई है वह वादीया के हको के मुकाबले शुन्य है। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में केवल जमाबन्दीयों की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गई जिसे दस्तावेजात को शुन्य करवाने का अभिकथन किया गया है उसकी प्रति प्रस्तुत नही की गई है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 भोपालराम के दानपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीया का दायित्व था कि जिस दस्तावेज को वादीया शुन्य करवाने का अनुतोष चाहा गया है वह अपने वाद के साथ पेश करना आवश्यक था बिना दस्तावेजात के आधार पर वादीया को कॉज ऑफ एक्शन /वाद करण ही हासिल नही होता मात्र वाद में अंकित करने से वादीया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादीया ने जिन कथनो के आधार पर वाद पेश किया गया था वह दस्तावेज ही प्रस्तुत नही करने से वादीया को कॉफ ऑफ एक्शन अर्थात वाद करन ही हासिल नही होते है इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित अन्य तथ्यो पर विवेचन करने की आवश्यकता ही नही है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किये गये दानपत्र को शुन्य /प्रभावहीन करवाने का पेश किया गया था किन्तु वादीया ने केवल अपने वाद में अंकित किया गया है अपने वाद के संलग्न दानपत्र पेश नही किया गया जिसके कारण वादीया को कॉज ऑफ एक्शन/वाद करण हासिल होना साबित नही होने के कारण वादीया का वाद संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है

अतः प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी वाद करण हासिल नही होने के कारण स्वीकार किया जाकर वाद वादीया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र/वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/3/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:05 IST
Reason: SelfAttested